

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/ 156


दिनांक 25/2/2018

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से वर्ष 2013-14 से 2015-16 में चयनित है, को राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 एवं कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक: एफ. ()/डीओपी/ ए-11/86 दिनांक 06.09.2011 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को एक वर्ष का परीविक्षाकाल सन्तोषजनक रूप से पूर्ण करने के फलस्वरूप चिकित्सा अधिकारी की रनिंग पे बेण्ड 15600-39100 में ग्रेड पे 5400/- स्वीकृत की जाती है :-

क. स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देय तिथि
1	डॉ. नवीन कुमार बैरवा	26.09.1991	12.10.2015	29.12.2016 (109 EOL)	30.12.2016
2	डॉ. विरेन्द्र सिंह	20.03.1986	15.10.2015	24.12.2016 (101 EOL)	25.12.2016
3	डॉ. मनिन्द्र सिंह	21.08.1987	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
4	डॉ. सवाई राम	04.05.1988	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
5	डॉ. मनीष पीपल्या	11.02.1990	01.08.2016	31.07.2017	01.08.2017
6	डॉ. गायत्री पहाडीवाल	10.07.1985	03.06.2016	03.06.2017 (31 EOL)	04.06.2017
7	डॉ. वसीम अहमद	01.03.1985	07.11.2016	06.11.2017	07.11.2017
8	डॉ. अनामिका शर्मा	03.05.1985	30.12.2011	04.02.2014 (492 EOL)	05.02.2014
9	डॉ. सुग्रीव मीना	10.08.1980	24.12.2011	23.12.2012	24.12.2012
10	डॉ. उषा यादव	12.09.1988	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017
11	डॉ. अभिमन्यु डासवानी	10.12.1987	16.10.2015	07.12.2016 (83 EOL)	08.12.2016
12	डॉ. राजवीर सिंह	05.05.1980	27.02.2015	25.03.2016 (58 EOL)	26.03.2016
13	डॉ. चित्रा चौधरी	23.12.1988	15.10.2015	08.03.2017 (175 EOL)	09.03.2017
14	डॉ. अमृता भार्मव	13.12.1987	14.10.2016	13.10.2017	14.10.2017

15	डॉ. विक्रम सिंह विश्नोई	11.11.1985	03.06.2016	02.06.2017	03.06.2017
16	डॉ. धर्मपाल सिंह चौधरी	01.01.1987	02.06.2016	01.06.2017	02.06.2017



 निदेशक (जन स्वा.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
 राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2018/156

दिनांक 25-02-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
4. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
5. प्रमोरी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की बेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करे।
6. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


 निदेशक (जन स्वा.)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
 राजस्थान, जयपुर